न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज0

पीठासीन अधिकारी :– राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 28/16 दायरा दिनांक 18.06.2016

दिनेश पुत्र हजारी आयु 35 वर्ष जाति किराड निवासी ग्राम महोदरा तहसील
शाहावाद जिला बारां राजस्थान –वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान
–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92ए,188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

<u>निर्णय–दिनांक 13.08.2022</u>

उपस्थित– वादी की ओर से – श्री प्रकाशचन्द्र नामदेव एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से – पेरोकार सरकार

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम महोदरा तहसील शाहावाद में आरा
खसरा नम्बर 326 रकबा 5.00 बीघा आराजी पर वादी के पिता हजारी व
श्यामलाल किराड निवासी महोदरा वर्ष 1986 के पूर्व से ही बहेसियत अतिक
काश्त करते चले आ रहे थे, धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कई बार जुम
अदा किया है। वादी के पिता भूमिहीन थे। आवंटन कमेटी मुकाम समरानिया
दिनांक 28.06.1986 को खसरा नम्बर 326 में से 5.00 बीघा भूमि वादी के पि
हजारी को अलोट कर दी गई और मौके पर कब्जा व दखल भी दिया, तभी
उक्त 5.00 बीघा आराजी को अपने जीवनकाल तक वादी के पिता ही काश्त क
रहे और पिता की मृत्यु वर्ष 2013 में हो चुकी है। वादी के पिता वुजुर्ग थे,
अस्वस्थ हो गये वर्षा 2008 से वादी उक्त आवंटित भूमि को निरंतर काश्त
रहा है। इस वर्ष भी उक्त भूमि पर वादी ने गेहूं की फसल बोई व काटी है।
आराजी 29 वर्ष से वादी के पिता व वादी के कब्जे में रही है, परन्तु अभी
खातेदारी नहीं दी गई है। वादी ने सोचा उक्त भूमि पर खातेदारी दर्ज क
गई होगी, परन्तु वर्ष 2011–12–13 में नायब तहसीलदार केलवाडा द्वारा 91
आर.एक्ट के नोटिस देने पर वादी को ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि पर खातेदारी
नहीं की गई है। इस आराजी को अलोट हुये 29 वर्ष हो चुके हैं और नि
वादी का कब्जा है, लम्बे कब्जे के आधार पर वादी को वाई आपरेशन आप
स्वतः ही खातेदारी हक प्राप्त हो गये हैं और वादी अपने नाम घोषणा
खातेदार [illegible] अधिकारी है। अतः वादी को ग्राम महोदरा त
शाह[illegible] में आरा[illegible] खस[illegible] नम्बर 326 रकबा 5.00 बीघा आवंटनशुदा का ख
घोषि[illegible] जाकर व[illegible] नाम रिकार्ड में दर्ज किया जावे, प्रतिवादी को
निषेधाज्ञा से [illegible] कि वे वादी के उक्त आराजी कब्जे काश्त
दखलन्दाजी नहीं क[illegible] आदि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:53:55 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को [illegible] की गई। प्रतिवादी व
से दावे का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम महोदरा
शाहावाद की आराजी खसरा नम्बर 326 की 5.00 बीघा भूमि हजा
श्यामलाल के नाम अवंटन हुई थी, परन्तु आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की
नहीं किये जाने से राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हुआ। वादी खसरा नम

उपखण्ड अधिकारी

रकबा 5.00 बीघा भूमि पर बहैसियत अतिक्रमी काबिज है, जिसके विरूद्व नियमानुसार धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखल किया जाता है। सम्बत 2068, 2069, 2070 में वादी के विरूद्व अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है। आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 10.04 बीघा भूमि जमाबन्दी 2067–70 में बंजड सिवायचक सरकार के खाते दर्ज है, चूंकि भूमि सिवायचक सरकार के खाते दर्ज होने से वादी को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज किया जाना उचित नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गईं –

1–आया वाके ग्राम महोदरा पटवार क्षेत्र महोदरा तहसील शाहावाद में आराजी खसरा संख्या 326 रकबा 10 बीघा किस्म बंजर दर्ज है ?

2–आया आराजी खसरा नम्बर 326 में से 5.00 बीघा महोदरा की दिनांक 28.06.1986 को भू आवंटन परामर्शी कमेटी मुकाम समरानिया द्वारा वादी के पिता हजारी वल्द श्यामलाल किराड निवासी महोदरा को नियमानुसार अलोट कर कब्जा दिया गया है। तभी से इस आराजी पर अपने जीवनकाल तक वादी का पिता अलोटी काश्त करता आ रहा है और उनकी मृत्यु के बाद से वादी निरंतर काश्त करता आ रहा है। इस प्रकार यह आराजी वादी तथा वादी के पिता के कब्जे काश्त में 29 वर्ष से है ?

3– आया 29 वर्षों से निरंतर उक्त आराजी वादी के कब्जे काश्त में होने से और वादी के पिता को अलोट होने से आराजी पर वादी को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और वादी अपने नाम खातेदारी घोषणा कराने का व खाते दर्ज कराने का अधिकारी है ?

4–आया वादी खिलाफ प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

वदी की ओर से वादी दिनेश को पी.डब्ल्यू 1 के रूप में तथा पी.डब्ल्यू 2 गुलाबचन्द को परीक्षित कराया गया और दस्तावेज नकल जमाबन्दी ग्राम महोदरा सम्बत 2071–74 खाता संख्या 1 प्रदर्श 1, आवंटन आदेश दिनांक 28.06.86 प्रदर्श 2, मृत्यु प्रमाणपत्र मृतक हजारी प्रदर्श 3, धारा 91 नोटिस क्रमशः प्रदर्श 4, 5 व 6, नोटिस धारा 80 सीपीसी प्रदर्श 7, डाक रसीद प्रदर्श 8 व 9, प्राप्ति रसीद प्रदर्श 10 व 11 तथा धारा 91 नोटिस प्रदर्श 12 पेश किये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। तनकीवार विश्लेषण निम्न प्रकार है –

<u>तनकी संख्या–1</u> आया वाके ग्राम महोदरा पटवार क्षेत्र महोदरा तहसील शाहावाद में आराजी खसरा संख्या 326 रकबा 10 बीघा किस्म बंजर दर्ज है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी का है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 से प्रमाणित है कि आराजी खसरा नंबर 326 रकबा 10.04 बीघा किस्म बंजड ग्राम महोदरा सिवायचक सरकार में स्थित है। अतः यह तनकी वादी के हक में निर्णीत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:53:55 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी संख्या–2</u> आया आराजी खसरा नम्बर 326 में से 5.00 बीघा महोदरा की दिनांक 28.06.1986 को भू आवंटन परामर्शी कमेटी मुकाम समरानिया द्वारा वादी के पिता हजारी वल्द श्यामलाल किराड निवासी महोदरा को नियमानुसार अलोट कर कब्जा दिया गया है। तभी से इस आराजी पर अपने जीवनकाल तक वादी का पिता अलोटी काश्त करता आ रहा है और उनकी मृत्यु के बाद से वादी

निरंतर काश्त करता आ रहा है। इस प्रकार यह आराजी वादी तथा वादी के पिता के कब्जे काश्त में 29 वर्ष से है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी का है। आवंटन आदेश दिनांक 28.06.86 प्रदर्श 2 से खसरा नंबर 326 की 5.00 बीघा भूमि हजारी पुत्र श्यामलाल साकिन महोदरा के नाम आवंटन होना साबित है, परन्तु इस आवंटन की पालना में आवंटी हजारी को उक्त आवंटित भूमि पर दखल दिया जाना साबित नहीं होता है। आवंटन सन 1986 का है, प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाणपत्र अनुसार आवंटी हजारी की मृत्यु दिनांक 10.02.2013 को हुई है और यह वाद 2017 में आवंटी के पुत्र वादी दिनेश के द्वारा आवंटन तिथी से तकरीबन 30 वर्ष पश्चात पेश किया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से है और अतिक्रमी को कोई वैध हक व अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। इस प्रकार इस तनकी को वादी साबित करने में सफल नहीं हुआ है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या–3 आया 29 वर्षों से निरंतर उक्त आराजी वादी के कब्जे काश्त में होने से और वादी के पिता को अलोट होने से आराजी पर वादी को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और वादी अपने नाम खातेदारी घोषणा कराने का व खाते दर्ज कराने का अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी का है। विवादित भूमि पर आवंटी को दखल दिया जाना साबित नहीं है। वादी की ओर से 29 वर्षों तक लगातार कब्जे के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। अतः कब्जे के अभाव में वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः यह तनकी भी साबित नहीं होने से वादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी संख्या–4 आया वादी खिलाफ प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी का है। स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिये स्वामित्व तथा अधिपत्य दो अहम शर्तें हैं अर्थात वादी जिस भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है, तो वादी को यह साबित करना होगा कि विवादित अचल सम्पत्ति उसके वैध स्वामित्व तथा कब्जे की हो। इस प्रकरण में वादी विवादित भूमि का न तो वैधानिक स्वत्वधारी है और ना ही वादी का वैध कब्जा है। इस कारण वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वैधानिक हकदार नहीं पाया जाता है। अतः यह तनकी भी वादी के विरूद्व तय की जाती है।

अतः उक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद साबित नहीं होने से अस्वीकार [illegible] किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया। तदानुसार डिक्री [illegible] हो। [illegible] फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:53:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

डिक्री मुकदमा इन्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम शाहाबाद

वइजलास – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

दिनेश पुत्र हजारी आयु 35 वर्ष जाति किराड निवासी ग्राम महोदरा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92ए,188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

मुकदमा नं. 28/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....
व हाजरी.....मिनजामिन मुद्दई रूबरू.....
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि **वादी का वाद साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।** निज .....मुबलिग.....बावत.....
खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह.....फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....को अदा करें।
डिक्री मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **13.08.2022** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा
स्टाम्प वकालतनामा			सटाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना बकील
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर
फ़ीस कमीश्नर			बवत इजराय हुकमनामा
बवत इजराय हुकमनामा			मुतफरीक मीजान
मुतफरीक			

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:53:55 IST
Reason: SelfAttested